2

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 641 /अका./का.प./2008 रायपुर, दिनांक : ~~14~~ 26.02.2008

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की स्थगित बैठक पुनः सोमवार, दिनांक 25.02.2008 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुयेः

1.	डॉ लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डा ए.आर.चन्द्राकर, कुलाधिसचिव	सदस्य
3.	डा गौरीशंकर	सदस्य
4.	डा श्रीमती उषा दुबे	सदस्य
5.	डा श्रीमती जयलक्ष्मी ठाकुर	सदस्य
6.	डा आर.पी.दास	सदस्य
7.	डा एस.जे.केकरे	सदस्य
8.	श्री डा एस.के.मिश्र	सदस्य
9.	प्रो.रामखिलावन गुप्ता	सदस्य
10.	डॉ आर.एम.झाडे	सदस्य
11.	डा शलभ कुमार तिवारी	सदस्य
12.	डॉ एस.के.मुखर्जी	सदस्य
13.	डा श्रीमती इंदु अनंत, कुलसचिव	सचिव

कार्यवृत्त---

1. **विश्वविद्यालय के वास्तविक बजट 2006-07, पुनरीक्षित बजट 2007-08 एवं प्रस्तावित बजट 2008-09 के अनुमोदन पर विचार करना।**

टीप– बजट समिति की बैठक दिनांक 23.2.2008 को आयोजित हुई। बजट समिति ने सुझाव दिये कि- (1)विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी खातों का विवरण जो इस बजट में सम्मिलित नहीं है, को annexure के रूप में सूचनात्मक संलग्न किया जावे, (2) Non-recurring expenditure के प्रावधान का आधार विवरण, निर्माण एवं विस्तार के सम्बन्ध में बजट के annexure में दिखाया जावे एवं (3) बजट को और अधिक वास्तविक स्वरूप देने के लिये पुनरीक्षित बजट में आठ माह का वास्तविक आंकडा दो खंडों में अप्रैल से अगस्त एवं सितम्बर से नवम्बर तक का दिखाया जावे। शेष चार माह का अनुमानित दिखाया जावे। क्रमांक 1 को छोड़कर सभी सुझाव आगामी बजट में सम्मिलित किया जावे।

निर्णय विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा गठित बजट समिति की बैठक के कार्यवृत्त एवं चार्टेड एकाउंटेट श्री जी.एस.अग्रवाल, जवाहर नगर रायपुर के द्वारा दिये गये बजट पर सुझाव को

पढ़ा गया। सुझाये गये बिंदुओं पर चर्चा की गई। विश्वविद्यालय के आय-व्यय पर चर्चा हुई। सुझाव मान्य कर विश्वविद्यालय निधि की वास्तविक बचत की जानकारी अगली बैठक में रखने वित्त अधिकारी को निर्देशित किया गया। सुझावों को आगामी बजट में लागू करने के निर्णय के साथ विश्वविद्यालय बजट वास्तविक 2006-07, पुनरीक्षित 2007-08 एवं प्रस्तावित 2008-09 को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

समस्त सावधि जमा प्रमाण पत्रों को पूर्नविनियोजन किये जाने बाबत् वित्त अधिकारी को परिपक्वता तिथि के एक माह पूर्व प्रस्तुत करने के लिये जवाबदेही तय की गई। एक माह पूर्व प्रस्तुत न करने पर परिपक्वता के पश्चात् प्रस्तुती करने पर वित्त अधिकार को जवाबदेह मानकर उनके वेतन से क्षति हुई ब्याज दर की राशि की कटौती करने का निर्णय लिया गया।

कुलपति

कुलसचिव

क्रमांक : 642/अका./का.प./2008 रायपुर, दिनांक : ~~25~~ 26.2.2008

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को ।
3. जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्ताधिकारी / आवासीय अंकेक्षक,
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कुलसचिव